न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 242/2019 (50/2019)

GCMS NO. : 2019/00009

–:: प्रार्थीगण ::–

1. सलाम पुत्र अब्दुल मोहम्मद
2. रसीद पुत्र अब्दुल मोहम्मद
3. जंवरू पुत्र अब्दुल मोहम्मद

जातियान तेली मुसलमान निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. फकीर मोहम्मद पुत्र भंवरू
2. छोटू पुत्र भंवरू
3. मोहम्मद मुस्ताक पुत्र भंवरू
4. अल्लादीन पुत्र भंवरू
5. शेरू मोहम्मद पुत्र भंवरू
6. जन्नत बानो उर्फ भूरी पुत्र भंवरू
7. कंचन पत्नी भंवरू

जातियान तेली मुसलमान निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण।

8. अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल हकीम
9. मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल हकीम

जातियान सिलावट मुसलमान निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण।

10. तहसीलदार, जैतारण पाली।
11. सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार कार्यालय जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थित:. 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

दिनॉक: 29/10/2021

–:: निर्णय :

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान संख्या एक से [illegible] की [illegible]क पुश्तैनी कृषि भूमि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का [illegible]या तहसील [illegible]रण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1120 रकबा 10 बीघा 14 बि[illegible] अव्वल व खसरा नम्बर 1092/1 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा [illegible] हुई है। जिस पर सायलान व गैरसायलान संख्या एक से सात अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त है तथा जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जिसे प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। गैरसायलान् संख्या एक से छह के पिता भंवरू सायलान् के सगे भाई जिनकी वंश वंशावली प्रार्थना–पत्र में अंकित है। सायलान व गैरसायलान संख्या एक से छह एक ही वंशज के उतराधिकारी एवं वारिसान है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई कृषि भूमि सायलान के पिता व दादा वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व काश्त करते थे व वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ही सायलान के दादा व पिता का देहान्त हो चुका था। सायलान वक्त सेटलमेन्ट के समय नाबालिग थे सायलान का बड़ा भाई भंवरू उस समय बालिग व कर्ताखानदान था सेटलमेन्ट पूर्व सभी भाई संयुक्त परिवार में शामलाती रहते थे व सायलान का बड़ा भाई भंवरू सायलान का पालन पोषण करता था वक्त सेटलमेन्ट के समय गैरसायलान संख्या एक से छह के पिता भंवरू बालिग होने तथा कर्ताखानदान होने से प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भंवरू पुत्र अब्दुल का नाम दर्ज हो गया। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में बताई गई कृषि सायलान की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है वक्त सेटलमेन्ट पूर्व सायलान के दादा व पिता काश्त करते थे। गैरसायलान संख्या एक से छह के पिता द्वारा प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में बताई गई कृषि भूमि खरीद की हुई नही है। उक्त विवादित आराजी पैतृक पुश्तैनी संयुक्त परिवार की शामलाती कृषि भूमि है। सायलान व गैरसायलान संख्या एक से छह के पिता भंवरू ने अपने जीवनकाल मे सायलान को अलग कर प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई गई खसरा नम्बर की कृषि भूमि का मौके पर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से का बंटवाडा कर सायलान को सौप दी थी। तब से सायलान मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते है व खेतों के चारो तरफ तारबन्दी की हुई है। इस वर्ष भी सर्दी के समय सायलान ने उक्त अपने हिस्से की कृषि भूमि में रायरा की फसल बोई है व सायलान का प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में बताई कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे है व उपयोग–उपभोग करते है। उक्त कृषि भूमि सायलान के नाम करवाने हेतु कहा तब भंवरू ने कहा कि उक्त कृषि भूमि तुम्हारे नाम करवा दुगां लेकिन भंवरू का अचानक देहान्त हो गया। तथा सायलान उक्त कृषि भूमि मे अपने नाम नही करवा सके। लेकिन सायलान प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई भूमि पर हिस्से मुजब काबिज है व काश्त बिना किसी रोकटोक के करते चले आ रहे है। सायलान व गैरसायलान संख्या एक से छः के पिता के नाम रहवासी मकान का पट्टा ग्राम पंचायत लाम्बिया ने बनाया था जिसमे सायलान व गैरसायलान संख्या एक से [illegible] है प्रार्थनापत्र के साथ पट्टा की नकल पेश है। सायलान व गैरसायलान [illegible] पिता भंवरू जीवित था तब तक सभी शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के हिस्से अनु[illegible] काश्त करते आ रहे है लेकिन सायलान का भाई भंवरू [illegible] संख्या एक से छः भंवरू की संतान प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक म[illegible]ताई गई कृषि भूमि में बाधा अडचन पैदा कर रहे है जबकि उक्त विवादित आराजी मौके पर हिस्सेनुसार बंटी हुई है व तारबन्दी की हुई है। गैरसायलान् संख्या एक से सात

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

ने दिनांक 25-03-19 को सायलान को धमकी दी कि उक्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान कर देगे। अगर गैरसायलान संख्या एक से सात प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई आराजी का रजिस्टर्ड बेचान कर देते है तो सायलान अपने हक हकूक से महरुम हो जायेगे, पजेशन को लेकर लडाई झगडा होगा व शांति भग होगी इस कारण सायलान के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई गई कृषि भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा प्रारम्भ से संयुक्त परिवार था सभी भाई अपने अपने हिस्से पर स्नेह पूर्वक व शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है सायलान का भाई भंवरू की संतान गैरसायलान संख्या एक से छः को सायलान ने उक्त कृषि भूमि अपने नाम करवाने हेतू दिनांक 25/03/19 को कहा तो गैरसायलान् ने साफ इंकार कर दिया व उक्त कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण आदि करने की धमकी दी तथा सायलान को उसके कब्जे से बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी एवं गैरसायलान उक्त कृषि भूमि को हडपने की साजिश कर रहे है। सायलान अपने हिस्से अनुसार कृषि भूमि पर शुरु से काबिज है तथा कुल जमीन में 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने के सायलान अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधा व वाद बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। पूर्व मे गैरसायलान् के पिता भंवरू ने खसरा संख्या 1092 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि से सायलान की सहमति से छः बीघा कृषि भूमि जब्बारखां, रसीदखां, आमीन, साबिर, साकिर पुत्र असकर खां सिलावट निवासी लाम्बिया वालो को बेचान की थी। उक्त राशि में से चार हिस्से कर सायलान व गैरसायलान संख्या एक से छः के पिता ने आपस बटवाडा कर प्राप्त कर लिया था। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे साबित है यदि गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम के आधार पर उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते है एवं सायलान को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी तथा सायलान अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से महरुम हो जायेगे तथा गैरसायलान द्वार किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का सायलान मौके पर विरोध करेगे तो मौके पर वाद विवाद, लडाई झगडा होगा व विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो को रोके जाने हेतू यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या [illegible] नम्बर 1120 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व [illegible] नम्बर 1092/1 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा मे से सायलान् अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई, बुवाई, निराई, गुडाई, सिंचाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आदि करे या करावे तथा अपनी मामर्जी अनुसार उपयोग-उपभोग करे तो उसमे गैरसायलान उसके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की बाधा, अडचन, व्यवधान, रोकटोक व दखल व दस्तन्दाजी नही करे तथा न ही मौके पर खूर्द-बूर्द करे व सायलान के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करें तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि के किसी भू भाग को गैरसायलान् संख्या एक से सात किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति को प्रार्थनापत्र के अंतिम निर्णय तक यथावत् रखी जावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 8 व 9 की ओर से जबाब पेश नहीं करने से जबाब प्रार्थना-पत्र बन्द किया गया। गैरसायलान संख्या 1 से 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झूठे एवं आधारहीन होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। वादग्रस्त आगजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1120 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1092/1 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा सायलान् की पैतृक पुश्तैनी भूमि नही होकर जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू पुत्र अब्दूल की वक्त सेटलमेन्ट से लेकर वर्ष 2018 तक खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि थी और भंवरू पुत्र अब्दुल के देहान्त के पश्चात उनके उतराधिकारी एवं वारिसान जबाब देहन्दागण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। वादग्रस्त आराजी मे सायलान् का कभी कोई हक हिस्सा व अधिकार नही था न ही है और न ही भविष्य में इस प्रार्थनापत्र के जरिये सायलान् को कोई हक अधिकार प्राप्त हो सकते है। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर सायलान् का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। वादग्रस्त आराजी जबाब देहन्दागण के पिता की वक्त सेटलमेन्ट से लेकर उनके देहान्त तक रही व उनके देहन्दा के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 4203 दिनांक 26/06/2018 से आज तक जबाब देहन्दागण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। सायलान् ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी सायलान् की पैतृक पुश्तैनी व कब्जा काश्त [illegible] इसके विपरीत वादग्रस्त आराजी जबाब देहन्दागण के पिता की खातेदारी [illegible] काश्त की थी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वर्तमान मे जबाब देहन्दागण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है जो बतौर सबूत नकल [illegible] की प्रतियां जबाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इस पद मे सायलान् ने जो वंश वृक्षावली दर्शायी है वह गलत झूठी व मनगढन्त है। इस पद मे जो वंशावली सायलान् ने दर्शाया है जिसे जबाब

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

देहन्दागण स्पष्ट रूप से नामंजूर करते है। सायलान् व जबाब देहन्दागण जाति से तेली मुसलमान है तथा सायलान् एवं जबाब देहन्दागण की समाज का एक राव भी है जिनका नाम दीपक राव पुत्र जुगलकिशोर जी जाति राव निवासी मालीयो की ढाणी, वार्ड संख्या 8 शिवमंदिर की गली रेल्वे लाईन के पास मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज0 है तथा इनके पूर्व इनके पूर्वज सायलान् एवं जबाब देहन्दागण राव रह चुके है। सायलान् व जबाब देहन्दागण की वंश वृक्षावली जो वास्तव मे है उनका इन्द्राज उक्त दीपक राव व उनके पूर्वजो ने अपनी बही मे समय समय पर किया गया है। सायलान् व जबाब देहन्दागण के परिवार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उनका इन्द्राज उक्त राव व उनके पूर्वजों द्वारा अपनी बही मे समय समय पर किया गया है । इसलिए जबाब प्रार्थनापत्र मे जबाब देहन्दागण द्वारा जो सायलान् एवं जबाब देहन्दागण गैरसायलान् की जो वंश वंशावली दर्शायी है वह ही सत्य है। सायलान् ने अपने प्रार्थनापत्र के इस पद मे जो वंश वंशावली बतायी है जो केवल मात्र झुठी गलत व मनगढन्त है। दीपक राव द्वारा जारी सायलान् व जबाब देहन्दागण की वंश वंशावली रावजी के हस्ताक्षर सुदा जबाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे जबाब प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झूठे व मनगढन्त होने से जबाब देहन्दागण अस्वीकार करते है। सायलान् एवं जबाब देहन्दागण एक ही वंशज के उतराधिकारीगण नही है तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि पर सायलान् को उनके पिता व दादा का वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां जो जबाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश की गई है उनके अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि सायलान् एवं उनके पिता व दादा के कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजी मे नही है। इसके विपरीत वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट से लेकर वर्ष 2018 तक लगातार जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू वल्द अब्दुल की एक मात्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है एवं उनके देहान्त के पश्चात जबाब देहन्दागण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है मौके पर काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहे है। सायलान् ने केवल मात्र प्रार्थनापत्र दायर करने की गरज से झुठे तथ्यों का समावेश कर यह झुठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम कथन गलत झूठे व बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर[illegible] जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू सायलान् का बड़ा भाई नहीं है वादग्रस्त आ[illegible] स[illegible]ान की पैतृक पुश्तैनी परिवार की सामलाती कृषि भूमि [illegible] बल्कि वादग्र[illegible] संयुक्त आराजी का एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू वल्द अब्दुल वक्त सेटलमेन्ट रहा है जो बतौर सबूत राजस्व रेकर्ड जमाबन्[illegible] जबाब प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। सायलान् का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नही है। केवल मात्र जुबानी कथनो का समावेश कर जबाब देहन्दागण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenivel
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि जबाब देहन्दागण की दादी सखीना थी और सखीना और जबाब देहन्दागण के दादा अब्दुल बतौर पति पत्नी थे और उनके रहवास-सहवास से जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू का जन्म हुआ भंवरू के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता यानि कि सखीना के पति अब्दूल जी का देहान्त हो गया तथा उनके देहान्त के कुछ समय पश्चात ही जबाब देहन्दागण की दादी ने दुसरा विवाह उजीर खां निवासी गोविन्दगढ के साथ किया तथा सखीना व उजीर जी के रहवास सहवास से सायलान् का जन्म हुआ इसलिए सायलान् उजीर जी की संतान है तथा सायलान् व उजीरजी का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक जबाब देहन्दागण व उनके पिता भंवरू की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। सायलान् ने केवल मात्र जुबानी कथनो व झुठे तथ्यो को आधार बनाकर यह प्रार्थनापत्र पेश किया है तथा अपने प्रार्थनापत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी मे सायलान् के कोई हक अधिकार हो या कभी कोई कब्जा काश्त रहा हो। इसके विपरीत जबाब देहन्दागण ने अपने जबाब प्रार्थनापत्र के साथ वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक की समस्त जमाबन्दीयां एवं राजस्व रेकर्ड, गिरदावरी तथा भूमि प्रमाण पत्र दस्तावेज पेश किये जा रहे है जिनसे स्पष्ट रूप से साबित है कि वादग्रस्त आराजी केवल मात्र जबाब देहन्दागण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की है। इसलिए इस आधार से भी सायलान् का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम कथन झूठे मनगढन्त व आधारहीन होने से जवाब देहन्दागण अस्वीकार करते है। वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार जबाब देहन्दागण के पिता भंवरूजी ने अपने जीवनकाल मे वादग्रस्त आराजी को कभी भी सायलान् के हक हिस्से मे नही दी तथा सायलान् का वादग्रस्त आराजी मे कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है भंवरू के देहान्त के पश्चात राजस्व अधिकारीयो द्वारा वादग्रस्त आराजी के मौके की जांच कर मृतक भंवरू के समस्त उतराधिकारी एवं वारिसान की जांच कर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 4203 दिनांक 26/06/2018 जबाब देहन्दागण के पक्ष मे पारित किया गया। इसलिए जबाब देहन्दागण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। सायलान् ने वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई फसल नही बोई, वादग्रस्त आराजी पर सायलान् का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व [illegible] वादग्रस्त आराजी पर जबाब देहन्दागण व उनके पिता भंवरू का [illegible] कब्जा काश्त रहा है जो बतौर सबूत खसरा गिरदावरी व भूमि प्रमाण पत्र जबाब प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिनसे भी स्पष्ट रूप से [illegible] आराजी के जबाब देहन्दागण ही एक मात्र रिकॉर्डेड काबिज खातेदार [illegible]कार है एवं मौके पर कब्जा चला आ रहा है। सायलान् ने केवल मात्र जुबानी एवं झुठे कथनो को आधार बनाकर यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। जो मय हर्जा खर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी मे सायलान् के कोई हक अधिकार व हित निहित नही है तथा वादग्रस्त आराजी पर सायलान् का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वक्त सेटलमेन्ट से लेकर वर्ष 2018 तक लगातार वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एक मात्र जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू जी ही थे तथा उनके देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 4203 दिनांक 26/06/2018 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे जबाब देहन्दागण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज किया गया, जो आज तक राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा है तथा जबाब देहन्दागण बतौर खातेदार काश्तकार के मौके पर काबिज होकर वादग्रस्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है एवं उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। जब सायलान् वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है ही नहीं एवं न ही उनका कोई हक हिस्सा व अधिकार है न ही मौके पर कभी काश्त की। इसके विपरीत जबाब देहन्दागण वादग्रस्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है तो ऐसी स्थिति मे सायलान् जबाब देहन्दागण के विरूद्ध कोई भी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन हकदार नही है। इसलिए इस आधार से भी सायलान् का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जबाब है इस पद में वर्णित तमाम कथन गलत झुठे मनगढन्त व आधारहीन होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। वादग्रस्त आराजी सायलान् की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त परिवार की कृषि भूमि नही है जबाब प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वंशावली अनुसार सायलान् जबाब देहन्दागण के परिवार के सदस्य नही है। सायलान् उजीरजी की संतान है और उजीरजी एवं सायलान् का वादग्रस्त आराजी मे कभी कोई हक हिस्सा व अधिकार तथा हित निहित नही रहा है। वादग्रस्त आराजी के वक्त सेटलमेन्ट से लेकर वर्ष 2018 तक लगातार वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एक मात्र जबाब देहन्दागण के पिता भंवरू जी ही थे तथा उनके देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 4203 दिनांक 26/06/2018 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे जबाब देहन्दागण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज किया गया, जो आज तक राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा है तथा जबाब देहन्दागण बतौर खातेदार काश्तकार के मौके पर काबिज होकर वादग्रस्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है एवं उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। इसलिए ऐसी स्थिति मे सायलान् कोई भी घोषणा की दादरसी जबाब देहन्दागण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे प्राप्त करने के कानूनन हकदार नही होने से सायलान् का प्रार्थनापत्र मय ह[illegible] खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 का जबाब है कि [illegible] ने खसरा नम्बर 1092 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि मे से 06 बीघा भूमि जब्बारखां, रसीदखा, अमीनखा, साबीरखां, साकिरखां [illegible] लो को अपने खातेदारी अधिकारो के तहत बेचान की थी तथा सायलान् के कोई हक अधिकार हित व हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे निहित नही होने के कारण उक्त बेचान मे सायलान् की सहमति नही ली थी तथा न ही भी कोई सहमति की आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
([illegible]) जैतारण (पाली)

थी तथा उक्त बेचान मे सायलान् की सहमति लेने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है सायलान् ने सहमति बाबत् झूठे कथन उल्लेख किये हैं तथा उक्त बेचान से जो प्रतिफल की राशि प्राप्त की थी उसको भंवरू ने स्वयं के लिये एवं जबाब देहन्दागण के लिये काम मे लिया गया तथा उक्त बेचान की प्रतिफल की राशि कभी भी सायलान् को नहीं दी थी क्योकि सायलान् का बेचानसुदा आराजी में कभी कोई हक हिस्सा अधिकार था ही नही सायलान् ने बेचान की प्रतिफल की राशि बाबत् झूठे व मनगढन्त तथ्यों का समावेश कर यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 9 का जबाब है कि सायलान् के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टिया मामला नही है क्योकि वादग्रस्त आराजी मे सायलान् एवं उनके पूर्वजो का कभी कोई हक हिस्सा व अधिकार निहित नही है तथा सायलान् वादग्रस्त आराजी के न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है न ही उप खातेदार है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान् के पक्ष मे नही है क्योकि वादग्रस्त आराजी पर सायलान् या इनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है इसके विपरित प्रथम दृष्टया मामला जबाब देहन्दागण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी के वक्त सेटलमेन्ट से लेकर वर्ष 2018 तक लगातार रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार जबाब देहन्दागण के पिता भंवरूजी थे और उनके देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 4203 दिनांक 26/06/2018 के वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे जबाब देहन्दागण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो आज तक यथावत् है इसलिए ऐसी स्थिति में यदि जबाब देहन्दागण जो कि रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है के विरूद्ध कोई भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति सायलान् को होने की बजाय जबाब देहन्दागण को होना सुनिश्चित है तथा जबाब देहन्दागण के खातेदारी अधिकार प्रभावित होगे। सायलान् को कोई भी अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इसलिए ऐसी स्थिति सायलान् द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये-

1. 1999 DNJ(Raj.) Page no.604

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन [illegible] एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का [illegible] अवलोकन [illegible] तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रा[illegible] के आधार [illegible] प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायलान/प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् घोषणा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थीगण ने यह कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक पुश्तैनी संयुक्त परिवार की शामलाती कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान ने प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक पुश्तैनी नहीं होकर अप्राथीगण संख्या 1 से 7 के क्रमशः पिता व पति स्व. भंवरू पुत्र अब्दुल वक्त सेटलमेन्ट से लेकर वर्ष 2018 तक एवं तत्पश्चात् उनके उत्तराधिकारी वारिसान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011-30 तथा संवतवार जमाबंदियों के अवलोकन से उक्त कथन की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी में किस प्रकार प्रार्थीगण का हक अधिकार निहित है। साथ ही प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे संबंधी कथन को साबित करने हेतु भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि अप्रार्थीगण द्वारा वंशावली के संबंध में किये गये कथन, वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है अथवा नहीं? एवं वाद का मुस्लिम विधि से बाधित होने के संबंध में किये गये कथन साक्ष्य के स्तर पर विचारण योग्य बिन्दू है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम बिंदू प्राथीगण के विरूद्ध साबित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेखीय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण के पिता स्व. भंवरू पुत्र अब्दुल एवं तत्पश्चात उनके वारिसान बतौर खातेदार दर्ज है। सामान्यतः कृषि भूमि के वर्तमान उपयोग/उपभोग के लाभार्थी के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन निहित होता है जब तक कि उसे अन्यथा साबित न कर दिया जाये। प्रार्थीगण यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में निहित है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है। अप्रार्थीगण पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेखीय दस्तावेजात के अनुसार [illegible] आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण यह साबित करने में विफल [illegible] कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी एवं न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। अतः अन्यथा साबित न होने कि स्थिति में यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग से महरूम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested

होना पडेगा जिससे निश्चित ही अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। निष्कर्षतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/10/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:51 IST
Reason: SelfAttested